भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 738
05.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना

738 **श्री कार्तिकेय शर्मा**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारी इंजीनियरिंग उपकरणों, पूंजीगत वस्तुओं और औद्योगिक मशीनरी के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने में क्या प्रगति हुई है;
(ख) क्या मंत्रालय ने पूंजीगत वस्तु योजनाओं के तहत लक्षित सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से पानीपत (वस्त्र), यमुनानगर (प्लायवुड मशीनरी) और गुरुग्राम-मानेसर (ऑटोमोटिव विनिर्माण) सहित उत्तरी विनिर्माण केंद्रों की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं का मानचित्रण किया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या हरियाणा जैसे राज्यों में प्रमुख औद्योगिक मशीनरी क्षेत्रों में स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु नई वित्तीय प्रोत्साहन, परीक्षण केंद्रों या डिजाइन-विकास सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग उपकरणों और विभिन्न उप-क्षेत्रों के संबंध में उत्पादन डेटा वर्ष 2019-20 में 2,87,233 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5,69,900 करोड़ रुपये हो गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**उप-क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	मशीन टूल्स	6152	6602	9307	11956	13571	14286
2	डाई, मोल्ड और प्रेस टूल्स	13682	12294	13128	13915	15600	18400
3	टेक्सटाइल मशीनरी	5355	5093	11658	14033	14639	10461

4	प्रिंटिंग मशीनरी	12678	10058	13215	16107	23479	29716
5	अर्थमूविंग और माइनिंग मशीनरी	31020	29021	28674	37551	73000	80750
6	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	2350	3710	3850	3912	4310	4827
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	7547	10250	12210	13203	13863	15249
8	प्रक्रिया संयंत्र उपकरण	29250	21938	24000	23415	27396	31505
9	भारी इंजीनियरिंग उपकरण	179199	167706	219158	258832	302900	364706
	कुल	**287233**	**266672**	**335200**	**392924**	**488758**	**569900**

(स्रोत: उद्योग संघ अर्थात् आईएमटीएमए, टीएजीएमए, टीएमएमए, आईपीएएमए, आईसीईएमए, पीएमएमएआई, एएफटीपीएआई, पीपीएमएआई और आईईईएमए)

(ख), (ग) और (घ): "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की स्कीम- चरण II" एक अखिल भारतीय मांग आधारित स्कीम है, जिसके अंतर्गत देश के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उद्योग साझेदारों के सहयोग से परियोजना कार्यान्वयन संगठनों (पीआईओ) द्वारा परियोजनाएं प्रस्तुत की जानी हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी), मानेसर द्वारा "उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा के लिए ऑटोमोटिव समाधान पोर्टल (एस्पायर) नामक वेब आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफार्म के विकास" के लिए एक सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी) की स्थापना की गई है। इस मंच का उद्देश्य शिक्षाविदों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग को एक साथ लाना है, ताकि उद्योग के सामने आने वाली प्रौद्योगिकी समस्याओं की पहचान की जा सके और व्यवस्थित तरीके से उनके लिए समाधान जुटाया जा सके। इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत पानीपत (वस्त्र) और यमुनानगर (प्लाईवुड मशीनरी) से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******